

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2019—भाद्र 22, शक 1941

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2019

क्र. ई-5-607-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 13 से 16 अगस्त 2019 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 17 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, जन

संपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक,

लघु उद्योग निगम तथा प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2019

क्र. ई-5-895-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मसूद अख्तर, आयएस., आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण को दिनांक 7 से 16 अगस्त 2019 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. मसूद अख्तर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे., सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मसूद अख्तर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. मसूद अख्तर द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में डॉ. मसूद अख्तर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मसूद अख्तर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.1-238-2019-5-एक.—श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त एवं महानिदेशक, एफ्को, मध्यप्रदेश भोपाल की सेवाएं संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक, जो पहले हो, नियुक्ति के लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2019

क्र. ई-5-731-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 29 जून से 19 जुलाई 2019 तक, इक्कीस दिन

का लघुकृत अवकाश दिनांक 20, 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिवशेखर शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शिवशेखर शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवशेखर शुक्ला, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-562-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जे. एन. कांसोटिया, भाप्रसे (1989) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को दिनांक 5 से 10 सितम्बर 2019 तक, छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. कांसोटिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जे. एन. कांसोटिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. कांसोटिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-644-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को दिनांक 18 से 19 सितम्बर 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 20 से 28 सितम्बर 2019 तक नौ दिन एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएस., को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-350-2019-5-एक.—आशीष भार्गव, भाप्रसे (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI) भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2019

क्र. ई-5-620-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे, (1993) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 13 से 16 अगस्त 2019 तक चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09, 10, 11, 12 एवं 17, 18 अगस्त 2019 के सार्वजनिक अवकाश सहित स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती नीलम शमी राव, आयएस के अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग

क्र. ई-1-362-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

#### तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री अभय कुमार वर्मा (2007) कलेक्टर, आगर-मालवा.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2.	श्री अभिषेक सिंह (2009) कलेक्टर, सीधी.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3.	श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी (2011) अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	कलेक्टर, सीधी
4.	श्री संजय कुमार (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	कलेक्टर, आगर-मालवा

क्र. ई-1-364-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
1.	श्री ए. पी. श्रीवास्तव (1984), महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी., नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ)(अतिरिक्त प्रभार).	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री के. के. सिंह (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मानव अधिकार प्रकोष्ठ तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ का अतिरिक्त प्रभार तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय.	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
3.	श्री अनिरुद्ध मुकर्जी (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, विमानन विभाग एवं वि.क.अ.-सह- आयुक्त, विमानन (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग एवं अतिरिक्त प्रभार-वि.क.अ.- सह-आयुक्त, विमानन.	—
4.	डॉ. पंकज जैन (2012), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/346/2019/5/एक, दिनांक 29 जुलाई 2019 द्वारा श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे (1985) कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल तथा अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है. एतद्वारा इस आदेश से श्री प्रभांशु कमल को अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार प्रकोष्ठ) का अतिरिक्त रूप से सौंपा गया प्रभार निरस्त किया जाता है.

(3) श्री इकबाल सिंह बैस, भाप्रसे (1985) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त प्रभार क्रमशः महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(4) श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(5) श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के प्रभार से मुक्त करते हुए, उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण, आयुक्त एवं महानिदेशक, एफको का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(6) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अतिरिक्त प्रभार एवं प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

क्र. ई-1-363-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री हरिसिंह मीणा (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशकजन कल्याण विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल संभाग, भोपाल
2.	श्रीमती हर्षिका सिंह (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2019

क्र. ई.-5-671-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, आयएएस., प्रमुख सचिव, जनजाति कार्य विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, जनजाति कार्य विकास, मध्यप्रदेश भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जुलाई 2019 द्वारा 19 से 31 अगस्त 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 13 से 21 अगस्त 2019 तक, नौ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 12 अगस्त 2019 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. समसंख्यक आदेश दिनांक 25 जुलाई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत्.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. ई.-1-366-2019-5-एक.—श्री आशीष भार्गव, भाप्रसे (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (DMI) भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-465-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस., तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मा.आ.प्र.) वर्तमान में संचालक, आदिम जाति संस्थान एवं विकास संस्थान, भोपाल को दिनांक 29 जुलाई से 3 अगस्त 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमचंद मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2019

क्र. ई.-5-683-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दिनांक 10 से 13 सितम्बर 2019 तक थाईलैण्ड में आयोजित Study Tour of State Policy makers and Practitioner from India to study Thiland's efficient system विषय पर आयोजित अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 14 से 15 सितम्बर 2019 तक, दो दिन का एक्स इंडिया अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2019

क्र. ई-5-908-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, (2007) कलेक्टर, जिला उज्जैन को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मई 2019 द्वारा दिनांक 25 जून से 5 जुलाई 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 6 जुलाई 2019 को एक दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-898-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजेश बहुगुणा, आयएस, आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर को दिनांक 26 से 31 अगस्त 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 अगस्त एवं 1 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री भरत यादव, भाप्रसे., कलेक्टर, जिला जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भरत यादव, भाप्रसे, आयुक्त, जबलपुर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-766-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शोभित जैन, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2019 द्वारा दिनांक 24 जून से 5 जुलाई 2019 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 जून से 6 जुलाई 2019 तक, ग्यारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2019

क्र. ई-5-570-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि कल्याण एवं कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग को दिनांक 24 से 31 अगस्त 2019 तक, आठ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 अगस्त एवं 1 सितम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 2 सितम्बर 2019 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि कल्याण एवं कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-362-2019-5-एक.—श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे (2007) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2019

क्र. ई-5-724-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुखवीर सिंह, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 26 अगस्त 2019 से 15 जनवरी 2020 तक, एक सौ तैंतालीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री सुखवीर सिंह की अवकाश अवधि में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का प्रभार श्री नीतेश व्यास, भाप्रसे, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुखवीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सुखवीर सिंह द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीतेश व्यास, भाप्रसे,

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सुखवीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखवीर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-556-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग जैन, भाप्रसे., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 25 अगस्त से 4 सितम्बर 2019 तक Australia New Zealand School of Government द्वारा आयोजित Advanced Leadership Programme प्रशिक्षण में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 5 से 8 सितम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग जैन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग जैन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-479-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभांशु कमल, आयएस., कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 03 एवं 04, 08 एवं 09 मई 2019 कुल चार दिन के स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को परिवर्तित कर उक्त अवधि का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-365-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न

रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला (2007), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग.
2	श्रीमती सरिताबाला ओम प्रजापति (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.

क्र. ई-1-372-2019-5-एक.—डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे, भाप्रसे (2006) महाप्रबंधक (कार्मिक), मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) की मूल पदस्थापना अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पद पर की जाती है, तथा उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है। साथ ही डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे को पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भी घोषित किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाडे द्वारा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019

क्र. ई-1-312-2019-5-एक.—श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश की सेवाएं संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक, जो पहले हो, नियुक्ति के लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिक्षा एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. ई-5-576-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. राजेश राजौरा, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग एवं प्रबंध संचालक, माध्यम को दिनांक 16 से 24 सितम्बर 2019 तक, नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 सितम्बर 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं जनसंपर्क विभाग एवं प्रबंध संचालक, माध्यम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-377-2019-5-एक.—सुश्री जयति सिंह, भाप्रसे (2016) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा, जिला ग्वालियर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर कार्यालय, ग्वालियर में संबद्ध किया जाता है।

No. E-5-565-IAS-Leave-5-I.—(1) Sanction is hereby accorded to Smt. Gauri Singh, IAS (1987) OSD-cum-Development Commissioner & Ex-officio Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat & Rural Development Department to avail Ex-India earned leave of Six days from 23rd to 28th September, 2019 along with permission to prefix gazetted holidays falling on 21, 22nd September, 2019 and suffix 29th September, 2019 to visit London and Europe.

(2) On return from leave Smt. Gauri Singh, IAS is again posted as OSD-cum-Development Commissioner & Ex-officio Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat & Rural Development Department on temporary basis until further orders.

(3) Smt. Gauri Singh will be entitled to draw leave salary and other allowances on the same rates as she was getting before proceeding on leave.

(4) It is certified that had Smt. Gauri Singh not proceeded on leave, she would have continued to work on her present post.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2019

क्र. ई-5-986-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री ऋजु बाफना, आयएस., तत्कालीन अपर कलेक्टर, जिला-सिंगरौली (वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सतना) को दिनांक 21 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अक्टूबर 2019 एवं दिनांक 09, 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री ऋजु बाफना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री ऋजु बाफना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ऋजु बाफना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2019

क्र. ई-5-959-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फ्रेंक नोबल ए., आयएस., प्रबंध संचालक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जुलाई 2019 एवं संशोधित आदेश दिनांक 10 जुलाई 2019 द्वारा दिनांक 23 जून से 20 जुलाई 2019 तक, अट्ठारस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 21 जुलाई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 23 जून से 18 जुलाई 2019 तक, छब्बीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जुलाई 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-816-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएस., संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2019 एवं 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।



(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक)।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 1150-114-2019-एक-10.—राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 15 से 19 जुलाई 2019 तक, पांच दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटन, अवर सचिव।

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2019

क्र. एफ 1-91-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राजेश चावला, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस् तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, जबलपुर को दिनांक 2 से 20 सितम्बर 2019 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 सितम्बर 2019 व 21-22 सितम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में बॉस्टन-अमेरिका एवं नीदरलैण्ड्स की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) श्री राजेश चावला, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री डी. सी. सागर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबन्धन, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस् तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजेश चावला, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2019

क्र. एफ-1(ए) 28-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे-11 पुलिस अधीक्षक, गुना को दिनांक 2 से 9 अगस्त 2019 तक, आठ दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे-11 को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे-11 को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे-11 उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 165-1994-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सामुदायिक पुलिसिंग), पु.मु. भोपाल को स्वयं के इलाज हेतु दिनांक 15 से 17 जुलाई 2019 तक तीन दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश व 13-14 जुलाई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति एवं मुम्बई (महाराष्ट्र) जाने हेतु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2019

क्र. एफ 1(ए) 151-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय को स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 13 से 18 जुलाई 2019 तक, छः दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बारह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनन्त कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. आर. भोंसले, उपसचिव.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2019

फा. क्र. 4233-2019-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री विजय चन्द्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं सचिव प्रशासनिक कमेटी नं. 40, जबलपुर का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2019

फा. क्र. 4608-इक्कीस-(ब-दो) 2019.—राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2951-इक्कीस (ब-दो) 16, दिनांक 12 अगस्त 2016 की सारणी के सरल क्रमांक-4 (2), 4(5) की प्रविशिष्टियों को संशोधित करते हुए नोटरी के एक पद को जिला-भिण्ड की तहसील रौन से तहसील-लहार, जिला-भिण्ड में स्थानान्तरित किये जाने के पश्चात् तहसील-रौन एवं तहसील-लहार, जिला-भिण्ड में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:—

स. क्र.	जिला/तहसील	पूर्व स्वीकृत पद	नवीन आवंटित पद	घटाये गये पदों की संख्या	बढ़ाये गये पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4(2)	लहार (भिण्ड)	07	03	00	01	11
4(5)	रौन (भिण्ड)	03	02	01	00	04

संतोष प्रसाद शुक्ल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2019

### शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय, अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब (एक)-3942-2019 दिनांक 24 अगस्त 2019 में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करता है अर्थात्:—

“उक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति में सारणी के सरल क्रमांक 2 के कॉलम 3 में Special Court No. 1 के स्थान पर Special Court No. 2 तथा सरल क्रमांक 7 के कॉलम 3 में Special Court No. 2 के स्थान पर Special Court No. 1 पढ़ा जावे.”

### CORRIGENDUM

F. No. 17-(E)-83-03-XXI-B(One).—The State Government hereby, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011, (No. 8 of 2012) read with sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), issue the following Corrigendum in respect of this department's Notification 17(E)-83-03--XXI-B(One)-3942-2019, dated 24th August, 2019 namely:—

“In the said Notification, at column No. (3) in the table, at serial Number 2, Special Court No.2 be read in place of Special Court No.1 and at column No. (3) in the table, at serial Number 7, Special Court No.1 be read in place of Special Court No.2.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019

क्र. बी-15-1-2004-चौदह-2.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 11-2-2019-1-9, दिनांक 6 मार्च 2019 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (संशोधन), अधिनियम, 1982 की धारा 8 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपस्थित दिनांक से, आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का कार्यभार सौंपा जाता है।

उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2019

क्र. एफ-5-1-2015-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री प्रभात कुमार पाराशर आत्मज स्व. श्री हरिशंकर पाराशर डी-11, 74 बंगला, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 67 वर्ष की आयु इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सदस्य नियुक्त करता है:—

1. सदस्य कार्यभार ग्रहण के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
2. सदस्य को बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के आयोग की बैठक में लगातार 5 बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.
3. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
4. सदस्य को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे.
5. सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य सेवा शर्तें बाध्यकारी होंगे.

क्र. एफ-5-1-2015-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री श्याम सुन्दर बंसल आत्मज स्व. श्री रतनलाल बंसल एफ-85, फ्लेमिंगो, आकृति इको सिटी, बावड़िया कलां, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 67 वर्ष की आयु इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सदस्य नियुक्त करता है:—

1. सदस्य कार्यभार ग्रहण के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
2. सदस्य को बिना उपयुक्त कारण एवं पूर्व सूचना के आयोग की बैठक में लगातार 5 बार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया जा सकेगा.

3. सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
4. सदस्य को राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं भत्ते देय होंगे।
5. सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य सेवा शर्तें बाध्यकारी होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2019

क्र. एफ-3-33-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 6267/टीसी/255/इन्दौर/उपा/नग्रानि/2015, दिनांक 6 मई 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

#### अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कस्बा इन्दौर	190	17.956 हेक्टेयर में से 17.52 हेक्टेयर	औद्योगिक	वाणिज्यिक-10.768 आवासीय-06.752
			योग . . 17.52		

उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

### पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2019

क्र. एफ. 6-2-2017-चौवन-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के सरल क्र. 57 पर अंकित “कोटवार” जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश एस. शेट्टे, सचिव.

## ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2019

क्र. एफ-13-26-2016-तेरह.—यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-16-06-2018-ए-ग्यारह, दिनांक 22 जून, 2018 के द्वारा मेसर्स सागर मेन्युफैक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में प्रस्तावित चार काटन यार्न इकाईयों, जिसमें इकाई 4 को सम्मिलित करते हुए विभिन्न अन्य सुविधाओं के साथ विद्युत् शुल्क से छूट इस शर्त पर प्रदान की है, कि इकाई 21 जून, 2021 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी.

(2) और यतः, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 17 जून 2019 एवं 17 जुलाई 2019 के द्वारा सूचित किया है कि इकाई क्रमांक 4 से 12 फरवरी 2019 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा इकाई 12 फरवरी 2019 से 11 फरवरी, 2026 तक (7 वर्षों) की अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत् भार 3200 केव्हीए पर विद्युत् शुल्क लाभ प्राप्त करने की पात्र है.

(3) अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेसर्स सागर मेन्युफैक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में स्थित काटन यार्न इकाई क्रमांक 4 के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर, दिनांक 12 फरवरी 2019 से शुरू होने वाले सात वर्षों की अवधि के लिए विद्युत् शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:

परन्तु विद्युत् शुल्क के संदाय से ऐसी छूट विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर केवल 3200 केव्हीए के अतिरिक्त विद्युत् भार पर ही उपलब्ध होगी :

परन्तु यह और कि मेसर्स सागर मेन्युफैक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड को विद्यमान इकाई के 132 केव्ही के संयोजन से काटन यार्न इकाई क्रमांक 4 को विद्युत् के प्रदाय पर विद्युत् शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) तथा मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप-नियम (1) के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए एक पृथक् सब-मीटर स्थापित करना आवश्यक होगा.

(4) यह अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 7 वर्षों के लिए प्रवृत्त होगी.

No. F-13-26-2016-XIII.—WHEREAS the Industrial Policy and Investment Promotion Department *vide* its order No. F-16-06-2018-A-XI, dated 22<sup>nd</sup> June 2018 has granted exemption from electricity duty along with various other facilities to the proposed four cotton yarn units, including unit No. 4, of M/s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot, District Raisen the with condition that the unit shall start its Commercial production by 21st June 2021;

(2) AND WHEREAS, MP Industrial Development Corporation Limited *vide* its letters dated 17th June 2019 and 17<sup>th</sup> July 2019 has intimated that commercial production from the unit No. 4 has been started on 12th February 2019 and the unit is eligible to get electricity duty benefit for the period from 12th February, 2019 to 11th February, 2026 (7 years) on additional electrical load of 3200 KVA;

(3) NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidut Shulk Adhinyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, exempts Cotton Yarn unit No. 4 of M/s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot, District Raisen from payment of electricity duty on the Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high-tension connection for a period of Seven years starting from 12th February 2019 :

Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only on additional electrical load of 3200 KVA on the existing high tension connection:

Provided further that M/s Sagar Manufacturers Private Limited shall be required to install a separate sub-meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to cotton yarn unit No. 4 from existing 132 KV connection in view of the provisions of clause (b) of sub-section (2) of Section 15 of the said Act and sub-rule (1) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949

(4) This notification shall be deemed to have come in to force from 12th April 2019 and will remain in force for 7 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. के. चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्र. एफ 1-3-19-रा.स.-यू.ए.-1-1700.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

- |   |  |                  |  |
|---|--|------------------|--|
| 1 | प्रो. अशोक कुमार ग्वाल,<br>कुलपति,<br>रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय,<br>ग्राम मेंदुआ, जिला रायसेन (म. प्र.). | समिति के अध्यक्ष | कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित                            |
| 2 | प्रो. योगेश सिंह,<br>कुलपति,<br>दिल्ली टेक्नालाजीकल यूनिवर्सिटी,<br>दिल्ली.                                    | समिति के सदस्य   | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान<br>आयोग द्वारा नामांकित. |
| 3 | प्रो. के. एल. जैन,<br>(पूर्व अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा)<br>जबलपुर (म. प्र.).                                | समिति के सदस्य   | कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित                           |

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. अशोक कुमार ग्वाल को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,

मनोहर दुबे, राज्यपाल के सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-34-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-खोह-मुरैना-9425-1.-

मुरैना, दिनांक 13 अगस्त 2019

**प्रारम्भिक अधिसूचना**

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम- खोह, तहसील व उपखण्ड- सवलगढ़, जिला-मुरैना में कुल किता 81 व कुल अर्जित रकबा 17.030 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला- मुरैना तहसील- सवलगढ़ के ग्राम- खोह प0ह0न0- 36 रा0नि0वृत्- 02 में उक्त परियोजना के लिये कुल किता 81 व कुल अर्जित रकबा 17.030 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	59	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.153	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीष पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग हि0 0.06 जीगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स0 भाग हि0 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकास पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि0 0.26 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु0 रामबाई बेबा परिमाल हि0 3.25 हैक्ट0 सामन्त रामहेत पुत्रगण भागीला मानबाई पुत्री भागीला स0 भा0 रकबा 3.66 है0 मु0 सावित्री बेबा चिरोजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रुमाली नीरज पुत्रियां चिरोजी स0 भाग हि0 0.41 है0 रामसिंह पुत्र मदनू हि0 रकबा 0.95 है0 गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है0 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोजी देवीलाल

					पुत्रगण मंगलिया स० भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.74 है० जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स० भा० रकबा 0.35 है०।
2	64	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.291	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबंत समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग हि० 0.06 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसन्ती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स० भाग हि० 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि० 0.26 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल हि० 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भा० रकबा 3.68 है० मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसन्ती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स० भाग हि० 0.41 है० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 है० गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया स० भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.74 है० जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स० भा० रकबा 0.35 है०।
3	65	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.104	बाबूलाल रघुनन्दन आ० गंगोली गयाबाई मानबाई पुत्रियां गंगोली जाति काछी पता नि० ग्राम पचेर भूमिस्वामी।
4	66	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.326	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबंत समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग हि० 0.06 जींगनी बेबा मदनू लखपति



					<p>शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स० भाग हि० 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि० 0.26 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल हि० 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भा० रकबा 3.66 है० मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स० भाग हि० 0.41 है० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 है० गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया स० भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.74 है० जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स० भा० रकबा 0.35 है०।</p>
5	67	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	<p>बनवारी, देवीलाल पुत्र बलवन्त जाति काछी पता नि० पचेर भूमिस्वामी।</p>
6	69	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.530	<p>कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग हि० 0.06 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स० भाग हि० 0.48 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 1.04 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 0.35 सरवदी पुत्री रामचरण हि० 0.26 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल हि० 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भा० रकबा 3.66 है० मु० सावित्री</p>

					बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स० भाग हि० 0.41 है० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 है० गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.46 है० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया स० भाग रकबा 2.11 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.74 है० जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स० भा० रकबा 0.35 है०।
7	70	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबंत समान भाग 8/252 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीर्लीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग हि० 1/252 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स० भाग हि० 10/308 सुन्ती बेबा कंदार विकाश पंकज पुत्रगण कंदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां कंदार समान भाग 1/308 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि० 4/28 किन्ती बेबा रामचरण सरवदी पुत्री रामचरण समान भाग हि० 1/28 दर भाग 1/4 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौंशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु० रामबाई बेबा परिमाल हि० 8/36 मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स० भाग हि० 1/36 दर भाग 1/4 गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.03 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 0.07 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.05 जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स० भा० रकबा 0.01 दर भाग 1/4 विस्सू पुत्र गोपी हि० 1/4 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
8	71	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.058	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट०

					<p>बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट0 जाति काछी भूमिस्वामी, जीगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू रकबा 0.48 हैक्ट0 सुन्ती बेबा केदार विकास पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट0 भूमिस्वामी, रामको रामबाई पुत्रियांन मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट0 ल्होई पन्नी पुत्रियांन मानिक स0 भाग रकबा 0.35 हैक्ट0 सरवती पुत्री रामचरण हि0 रकबा 0.26 हैक्ट0 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा कांती पुत्रियांन परिमाल मु0 रामबाई बेबा परिमाल स0 भाग रकबा 3.25 हैक्ट0 सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स0 भाग रकबा 3.66 हैक्ट0 भूमिस्वामी, मु0 सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियांन चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट0 रामसिंह पुत्र मदनू हि0 रकबा 0.95 हैक्ट0 जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगण सुखुआ स0 भा0 रकबा 0.74 हैक्ट0 जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि0 रकबा 0.46 हैक्ट0 मु0 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो पुत्रियांन खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2.11 हैक्ट0 काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियांन विहारी हि0 रकबा 0.35 हैक्ट0 जाति काछी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।</p>
9	72	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	<p>कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग 8/252 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग हि0 1/252 जीगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स10 भाग हि0 10/308 सुन्ती बेबा केदार विकास पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग 1/308 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0</p>

					4/28 किन्ती बेबा रामचरण सरवदी पुत्री रामचरण समान भाग हि0 1/28 दर भाग 1/4 ठकुंरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु0 रामवाई बेबा परिमाल हि0 8/36 मु0 सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स0 भाग हि0 1/36 दर भाग 1/4 गोपी पुत्र खेमचन्द भाग रकबा 0.03 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 0.07 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स0 भा0 0.05 जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स0 भा0 रकबा 0.01 दर भाग 1/4 विस्सू पुत्र गोपी हि0 1/4 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
10	73	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	शांती बेबा बुद्धा मावसिया सुरेश रामजी प्रकाश पुत्र बुद्धा बादामी मीरा नर्मदा ममता पुत्रियां बुद्धा स0 भाग जाति काछी निवासी ग्राम।
11	73/865	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.008	भौरू बेबा गोपी होतम पुत्र गोपी भारती रूमाली रेशम सुनीता फूलो पुत्रियां गोपी जाति काछी पता नि0 ग्राम स0 भाग भूमिस्वामी।
12	77	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनवारी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबंत समान भाग 8/252 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग हि0 1/252 जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू स0 भाग हि0 10/308 सुन्ती बेबा कंदार विकाश पंकज पुत्रगण कंदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां कंदार समान भाग 1/308 रामको रामबाई ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक हि0 4/28 किन्ती बेबा रामचरण सरवदी पुत्री रामचरण समान भाग हि0 1/28 दर भाग 1/4 ठकुंरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पिता परिमाल गया कौशा क्रान्ती पुत्रियां परिमाल मु0 रामवाई बेबा परिमाल हि0 8/36 मु0 सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पिता चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी स0 भाग हि0 1/36 दर भाग 1/4 गोपी पुत्र

					खेमचन्द भाग रकबा 0.03 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटोई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 0.07 जगदीश जयसिंह पुत्रगण सुखुआ स० भा० 0.05 जाति गुर्जर काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी स० भा० रकबा 0.01 दर भाग 1/4 विस्सू पुत्र गोपी हि० 1/4 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
13	78	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.449	मन्दिर श्री महादेव जी का, बाबूजी का बांके ग्राम हाजा माफी देवस्थान प्रबन्धक कलेक्टर महो० मुरैना पता नि० ग्राम शासकीय पट्टेदार।
14	80/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	राजाराम पुत्र छीतरिया जाति खठीक पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
15	80/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.373	भल्ला पुत्र मोती जाति काछी पता नि० ग्राम पचेर भूमिस्वामी।
16	81	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.130	क्रांति बेबा परिमाल सिरमिती सुनीता पुत्रियां परिमाल जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
17	82/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.260	राजाराम पुत्र छीतरिया जाति खठीक पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
18	82/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.490	कमलेश पुत्र पोथी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
19	83	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.0710	रामहेत पुत्र रतनलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
20	84/मिन 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.226	भैरोलाल पुत्र सोना जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
21	84/मिन 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.015	रामहेत पुत्र रतनलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
22	86	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	म० रामहेती बेबा गिरवर, रामदयाल रामगोपाल पुत्रगण गिरवर रामचिलासी पुत्री गिरवर जाति रावत पता निवासी समान भाग भूमिस्वामी।
23	87	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420	रामदेवी बेबा गिराज कोमल राजेश पदम दिलीप पुत्रगण गिराज मोहरबाई पुष्पा कमला बवली पुत्रियां गिराज समान भाग जाति भाट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
24	88	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	नर्मदा बेबा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फूलबती प्रकाशी पुत्रीयां रतनलाल जाति रावत समान भाग रकबा 0.22 आरे, रामदेवी बेबा गिराज कोमल राजेश पदम दिलीप पुत्र गिराज मोहरबाई पुष्पा कमला बवली पुत्रियां गिराज रकबा 0.02

					जाति भाट पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
25	89	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फुलबती प्रकाशी पुत्रियां रतनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
26	91	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	रामजीलाल पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
27	92	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.364	भन्ती पुत्री भोरु, कला पुत्री हीरा समान भाग हि० 2/3 गुलबो बेबा रामरतन पूरन कोकसिंह नबलसिंह पुत्रगण रामरतन गीता अंगूरी भूरी कला पुत्री रातन स० भाग हि० 1/3 जाति गुर्जर पता नि० ग्राम।
28	93	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	रामसिंह, महाराजसिंह, मोहरसिंह आ० चिरौजी मु० कस्तुरी बेवा चिरौजी कटोई रामनाथी रूमाली माया पुत्रियां चिरौजी समान भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
29	94	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.348	रामसिंह, महाराजसिंह, मोहरसिंह आ चिरौजी मु० कस्तुरी बेवा चिरौजी कटोई रामनाथी रूमाली माया पुत्रियां चिरौजी समान भाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू० राशा० 93
30	96	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.155	करन पुत्र बिहारी जाति काछी भाग 1/2 भल्ला अजमेर आ० मानिक भाग 2/6 समान भाग गुलबो बेवा रमेश ज्ञानसिंह ऋषिकेश पुत्रगण रमेश गायत्री सुरक्षा कृष्णा पुत्रियां रमेश समान भाग हि० 1/6 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
31	98	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.320	मु मल्लो बेवा सोना, स्वरुप, केदार, मुनीम, सीताराम, गटुआ वा० मुन्ना नाबा आ० सोना सर० मां मुल्लो खुद रामश्री प्रेमवती बालिग मुन्नी गुडडी नाबा० पुत्रियां सोना सर० मां खुद स० भाग 1/6 परिमाल शंकर रामचरन पुत्रगण मानसिंह मुल्लो किन्ती पुत्रियां मानसिंह स० भाग 5/6 जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
32	100	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.550	करन पुत्र बिहारी जाति काछी भाग 1/2 भल्ला अजमेर आ० मानिक भाग 2/6 समान भाग गुलबो बेवा रमेश ज्ञानसिंह ऋषिकेश पुत्रगण रमेश गायत्री सुरक्षा कृष्णा पुत्रियां रमेश समान भाग हि० 1/6 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
33	101	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.011	बद्री पुत्र बिहारी जाति काछी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
34	102	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.228	बद्री पुत्र बिहारी जाति काछी पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।

35	103	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फुलबती प्रकाशी पुत्रियां रतनलाल जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
36	105	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.518	करन पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
37	107	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.231	करन पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
38	108	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.500	सीता पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
39	109	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.350	सीता पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
40	110	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	करन पुत्र हरिसिंह जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
41	111	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.036	सियाराम परसराम आ० रामरतन मु० फूलो बेवा रामरतन दुलारी तारा पत्तो गुडडी पुत्रियांन रामरतन स० भाग 7/8 मु० दुलारी बेवा बनवारी लाखन वासुदेव आ० बनवारी लज्जा पुत्री बनवारी समान भाग हि० 1/4 पोथी करन सीता आ० हरिसिंह लच्छो काशी द्रोपति पुत्रियां हरिसिंह समान भाग हि० 6/14 रामजीलाल विस्सू आ० गोपी मु० ल्होई बेवा गोपी बावूली कला रुमाली पुष्पा पुत्रियांन गोपी जाति रावत स० भाग 1/2 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
42	112	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330	रामजीलाल,बिस्सू आ० गोपी मु० ल्होई बेवा गोपी बाबुली, कला रुमाली पुष्पा पुत्रियांन गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
43	113	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.093	रामजीलाल पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
44	114	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.722	रामजीलाल,बिस्सू आ० गोपी मु० ल्होई बेवा गोपी बाबुली, कला रुमाली पुष्पा पुत्रियांन गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
45	115	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.027	विस्सू पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
46	117	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.440	मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि० 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुडडी पुत्री मोतीलाल हि० 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा० पुत्रगण त्रिलोक सर० रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि० 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।

47	118	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.580	मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि0 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुडडी पुत्री मोतीलाल हि0 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा0 पुत्रगण त्रिलोक सर0 रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि0 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
48	119	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.690	मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि0 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुडडी पुत्री मोतीलाल हि0 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा0 पुत्रगण त्रिलोक सर0 रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि0 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
49	123	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.299	विस्सु पुत्र गोपी जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
50	124	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.183	अम्मेदसिंह उदयभान सिंह उदयवीरसिंह आ0 कम्मोद सिंह समान भाग जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
51	125	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.176	मु0 सावित्री देवी बेवा शारदा शरण सिंह राजकुमार सिंह अशोक सिंह राजेन्द्र सिंह राजेश सिंह आत्मज शारदा शरण सिंह रामकुमारी अल्का स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदा शरण सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
52	127	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.011	मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी का पुख्ता बाके ग्राम हाजा माफी देवस्थान प्रबन्धक कलेक्टर महो0 मुरैना ओकाफ डिपार्टमेन्ट पता नि0 ग्राम शासकीय पट्टादार।
53	128	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.636	ओमप्रकाश रामभजन रामकिशोर आ0 मायादेवी रामवती पुत्रीयां प्रभु मु0 कोशा बेबा प्रभु समान भाग जाति वाढई पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
54	129	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	अम्मेदसिंह उदयभान सिंह उदयवीरसिंह आ0 कम्मोद सिंह समान भाग जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
55	130	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	मु0 सावित्री देवी बेवा शारदा शरण सिंह राजकुमार सिंह अशोक सिंह राजेन्द्र सिंह राजेश सिंह आत्मज शारदा शरण सिंह रामकुमारी अल्का स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदा शरण सिंह



					जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
56	132	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.074	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावरी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट0 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट0 जाति काछी भूमिस्वामी, जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियांन मदनू रकबा 0.48 हैक्ट0 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियांन केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट0 भूमिस्वामी, रामको रामबाई पुत्रियांन मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट0 ल्होई पन्नी पुत्रियांन मानिक स0 भाग रकबा 0.35 हैक्ट0 सरवती पुत्री रामचरण हि0 रकबा 0.26 हैक्ट0 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा कांती पुत्रियांन परिमाल मु0 रामवाई बेबा परिमाल स0 भाग रकबा 3.25 हैक्ट0 सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स0 भाग रकबा 3.66 हैक्ट0 भूमिस्वामी, मु0 सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियांन चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट0 रामसिंह पुत्र मदनू हि0 रकबा 0.95 हैक्ट0 जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगण सुखुआ स0 भा0 रकबा 0.74 हैक्ट0 जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि0 रकबा 0.46 हैक्ट0 मु0 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो पुत्रियांन खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2.11 हैक्ट0 काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियांन विहारी हि0 रकबा 0.35 हैक्ट0 जाति काछी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
57	133	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.020	कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावरी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियांन बलबंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट0 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियांन रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट0 जाति काछी भूमिस्वामी, जींगनी बेबा मदनू लखपति शंकर

					<p>करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू रकबा 0.48 हैक्ट0 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट0 भूमिस्वामी, रामको रामबाई पुत्रियां मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट0 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक स0 भाग रकबा 0.35 हैक्ट0 सरवती पुत्री रामचरण हि0 रकबा 0.26 हैक्ट0 ठकुरी गजाधर नवलसिंह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा कांती पुत्रियां परिमाल मु0 रामबाई बेबा परिमाल स0 भाग रकबा 3.25 हैक्ट0 सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स0 भाग रकबा 3.66 हैक्ट0 भूमिस्वामी, मु0 सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियां चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट0 रामसिंह पुत्र मदनू हि0 रकबा 0.95 हैक्ट0 जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगण सुखुआ स0 भा0 रकबा 0.74 हैक्ट0 जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि0 रकबा 0.46 हैक्ट0 मु0 धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो पुत्रियां खेमचन्द चिरोंजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2.11 हैक्ट0 काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियां विहारी हि0 रकबा 0.35 हैक्ट0 जाति काछी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।</p>
58	137	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	<p>कम्मोदा बेबा बलबंत गणपति लालपति बनावरी देवीलाल पुत्रगण बलबंत रामश्री गोविन्दी प्रेमबाई पुत्रियां बलबंत समान भाग रकबा 0.47 हैक्ट0 बैजन्ती बेबा रोशन श्रीपती प्रीतम दीलीप पुत्रगण रोशन रामपति उम्मेदी सुनीता रेवती पुत्रियां रोशन समान भाग रकबा 0.06 हैक्ट0 जाति काछी भूमिस्वामी, जीगनी बेबा मदनू लखपति शंकर करनसिंह दर्शन रामसिंह पुत्रगण मदनू बसंती भगवती मिथलेश कमलेश पुत्रियां मदनू रकबा 0.48 हैक्ट0 सुन्ती बेबा केदार विकाश पंकज पुत्रगण केदार विमलेश ममता रमा अनूपा सीमा पुत्रियां केदार समान भाग रकबा 0.05 हैक्ट0 भूमिस्वामी, रामको रामबाई पुत्रियां मानिक समान भाग रकबा 1.04 हैक्ट0 ल्होई पन्नी पुत्रियां मानिक स0 भाग रकबा 0.35 हैक्ट0 सरवती पुत्री रामचरण हि0 रकबा 0.26 हैक्ट0 ठकुरी गजाधर</p>

					नवलसिंह द्वारिका पुत्रगण परिमाल गया कौशा क्रांती पुत्रियांन परिमाल मु० रामवाई बेबा परिमाल स० भाग रकबा 3.25 हैक्ट० सामन्त रामहेत पुत्रगण भगोला मानबाई पुत्री भगोला स० भाग रकबा 3.66 हैक्ट० भूमिस्वामी, मु० सावित्री बेबा चिरोंजी गोपाल लज्जाराम पुत्रगण चिरोंजी बसंती कम्पूरी अंगूरी रूमाली नीरज पुत्रियांन चिरोंजी समान भाग रकबा 0.41 हैक्ट० रामसिंह पुत्र मदनू हि० रकबा 0.95 हैक्ट० जाति काछी जयसिंह जगदीश पुत्रगण सुखुआ स० भा० रकबा 0.74 हैक्ट० जाति गुर्जर भूमिस्वामी, गोपी पुत्र खेमचन्द हि० रकबा 0.46 हैक्ट० मु० धनो बेबा खेमचन्द नारायणी कटाई पीतो पुत्रियांन खेमचन्द चिरोजी देवीलाल पुत्रगण मंगलिया समान भाग रकबा 2.11 हैक्ट० काशी बेबा विहारी कमलसिंह सुरेश महारजसिंह पुत्रगण विहारी भगवती रूमाली पुत्रियांन विहारी हि० रकबा 0.35 हैक्ट० जाति काछी नि० ग्राम भूमिस्वामी।
59	157	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.365	रजनी बेवा कृष्ण कुमार सचिव बा० सत्यम नाबा० आ० कृष्ण कुमार सर० मां रजनी स० भाग जाति कायस्थ पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
60	159	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	मु० रामहेती बेवा गिरवर रामदयाल रामगोपाल पुत्रगण गिरवर रामविलासी पुत्री गिरवर जाति रावत स० भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
61	161	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.136	रामजीलाल विस्सू आ० गोपी मु० ल्होई बेवा गोपी बाबूली कलां रूमाली पुष्पा पुत्रीयांन गोपी स० भाग जाति रावत नि० ग्राम भूमिस्वामी।
62	162	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.421	नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फूलवती पुकाशी पुत्रियांन रतनलाल स० भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
63	165	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.271	नर्मदा बेवा रतनलाल रामनिवास रामहेत इमरतलाल बूंदी सोनेराम पुत्रगण रतनलाल फूलवती पुकाशी पुत्रियांन रतनलाल स० भाग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
64	167	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि० 1/2 जाति रावत पता नि० ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुडडी पुत्री मोतीलाल हि० 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा० पुत्रगण त्रिलोक सर० रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि० 1/5 दर भा० 1/2 जाति रावत नि० ग्राम।

65	169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.158	मिसुरी पुत्र पुन्ना भाग 40/289 जाहर सिंह पुत्र हुकमसिंह भाग 104/289 दर हि0 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम रानीपुरा (खोह) भूमिस्वामी, हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुडडी पुत्री मोतीलाल हि0 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक रामकेश मातादीन नाबा0 पुत्रगण त्रिलोक सर0 रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक समान भाग हि0 1/5 दर भाग 1/2 जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
66	177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	हुकुम नरेश पुत्रगण मोतीलाल हुकुमबाई गुडडी पुत्री मोतीलाल हि0 4/5 रामरती बेवा त्रिलोक बा0 रामकेश मातादीन नाबा0 पुत्रगण त्रिलोक सर0 रामरती मां खुद सुनील पुत्री त्रिलोक हि0 1/5 दर जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
67	178/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.113	रघुवीर पुत्र जालिम जाति रावत पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
68	178/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मु0 रामहेती बेवा गिरवर रामदयाल रामगोपाल पुत्रगण गिरवर रामविलासी पुत्री गिरवर जाति रावत स0 भाग पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
69	182	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.133	मु सावित्री देवी बेवा शारदाशरणसिंह राजकुमारसिंह अशोकसिंह राजन्द्रसिंह राजेशसिंह आत्मज शारदाशरणसिंह रामकुमारी अलका स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदाशरणसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
70	183	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.049	उम्मेद सिंह उदयभान सिंह उदयवीर सिंह आ0 कम्मोद सिंह स0 भाग जाति ठाकुर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
71	279	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	दौजी रमेश आ0 गोलन्दी सम्पति कुअरदे नुन्नी पुत्रियां गोलन्दी स0 भाग 1/4 प्रभु पुत्र खेमचन्द भाग 1/3 रामजी रामसिंह माधो आ0 पुन्ना स0 भाग 1/12 गिरवर पुत्र बल्देव भाग 1/3 जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
72	285	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	बद्री पुत्र बिहारी जाति काछी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
73	289	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.006	मु0 अनारकली बेवा हाकिमसिंह जय सिंह राजभान सिंह आ0 हाकिमसिंह रेनू पुत्र हाकिमसिंह जाति ठाकुर पता नि0 ग्राम स0 भाग भूमिस्वामी।
74	291	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042	मु सावित्री देवी बेवा शारदाशरणसिंह राजकुमारसिंह अशोकसिंह राजन्द्रसिंह राजेशसिंह आत्मज शारदाशरणसिंह रामकुमारी अलका स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदाशरणसिंह

					जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
75	293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.140	मीना पत्नि बैजनाथ हि० 1/4 भैरोलाल पुत्र सोना हि० 3/4 जाति नाई नि० ग्राम भूमिस्वामी।
76	294	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.213	मु. अनारकली बेवा हाकिमसिंह जयसिंह राजभानसिंह राजेन्द्रसिंह आ० हाकिमसिंह रेनू पुत्री हाकिमसिंह जाति ठाकुर स० भाग नि० ग्राम।
77	295	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.018	मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी का पुख्ता बांके ग्राम हाजा माफी देवस्थान प्रबन्धक महो० मुरैना ओकाफ डिपार्टमेन्ट पता नि० ग्राम शासकीय पट्टादार।
78	296	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.069	सोवरन मुन्ना पुत्रगण गणेशा कटोईबाई सरूपी कमला पुत्री गणेशा जाति गुर्जर स० भाग नि० ग्राम भूमिस्वामी।
79	297	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.048	मु सावित्री देवी बेवा शारदाशरणसिंह राजकुमारसिंह अशोकसिंह राजेन्द्रसिंह राजेशसिंह आत्मज शारदाशरणसिंह रामकुमारी अलका स्नेहलता माधवी विजय पुत्रियां शारदाशरणसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
80	300	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.108	उम्मेद सिंह उदयभान सिंह उदयवीर सिंह आ० कम्मोद सिंह स० भाग जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
81	302	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.074	उम्मेदसिंह उदयभान सिंह उदयवीर सिंह आ० कम्मोद सिंह स० भाग जाति ठाकुर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
कुल किता 81				17.030	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र.-63-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-9425-2-

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-मुकुन्दा प0ह0क0-...4.9... रा0नि0 वृत्-...0.2... तहसील-~~केदारगढ़~~ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 2.002 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- मुकुन्दा, प0ह0क0-...4.9... रा0नि0 वृत्-...0.2... तहसील-~~केदारगढ़~~ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

#### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ़
ग. ग्राम	मुकुन्दा
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.002 हैक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4		5	6
1	2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.660	0.660	मन्दिर पुक्ता श्रीलक्ष्मीनारायण जी का मौजा जखोदा पर0 जौरा माफी देवस्थानी प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना औकाफ डिपार्टमेन्ट मुरैना
2	3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.650	0.572	रामदीन पुत्र चिम्न जाति काछी पता निवासी ग्राम
3	4/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.430	0.098	रतीराम पुत्र कल्लू जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4	4/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.021	रामबीर बदनसिंह जनकसिंह पुत्रगण बिसराम ज्ञानवती रजनी पुत्रियां विसराम जाति काछी नि० ग्राम भूमि स्वामी
5	4/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.110	0.017	दीपेश ना.बा. पुत्र सिरनाम निशा ना.बा. पुत्री सिरनाम सर नाना अमर सिंह पुत्र हरिविलाश जाति काछी निवासी ग्राम
6	4/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.022	रामबीर बदनसिंह जनकसिंह पुत्रगण बिसराम ज्ञानवती रजनी पुत्रियां विसराम जाति काछी नि० ग्राम भूमि स्वामी
7	5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.210	0.612	कुअरपाल ज्ञानेश्वर सियाराम पूत्रगण गिरबर जाति त्यागी नि० ग्राम स्यावटा भूमि स्वामी
<b>कुल किता 07</b>				<b>3.390</b>	<b>2.002</b>	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र.क्र.-66-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-शेखपुर-9425-3.-

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-शेखपुर प0ह0क0-50 रा0नि0 वृत्-02 तहसील -~~कैलारस~~ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 0.643 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- शेखपुर प0ह0क0- 50 रा0नि0 वृत्-02 तहसील- ~~कैलारस~~ उपखण्ड-सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

#### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ़
ग. ग्राम	शेखपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.643 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-	

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1	277/मिन-1/क	भूमिरवामी	कृषि भूमि	0.323	0.111	हरिशंकर पुत्र मावसिया जाति जाटव हि0 10/323, रघुवीर पुत्र राजाराम हि0 31/323, केदार पुत्र गुलाव हि0 42/323, वासुदेव पुत्र भगवानलाल हि0 240/323 जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
2	277/मिन-1/ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.231		रामलखन पुत्र मल्यू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
3	277 मिन-2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.199		नरेन्द्र कुमार राजकिशोर विवके पुत्रगण अमर सिंह हि0 समान भाग जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
4	277 मिन-3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.533		रामजीलाल पुत्र कन्दन हि0 26/51, टीकाराम पुत्र कुन्दन हि0 20/51, रघुवीर पुत्र राजाराम हि0 5/51 जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
5	278/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	0.086	हरीशंकर पुत्र भन्ताराम जाति ब्राह्मण पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
6	278/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.628		अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
7	278/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.559		भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।



8	278/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.409		रमेशचन्द्र पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
9	278/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.369		जसवन्त पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
10	278/6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.408		कुअरपाल पुत्र सामलिया जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
11	291/मिन-1/क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420		भोगीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
12	291/मिन-1/ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.145		बादामी पत्नी अमर सिंह जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
13	291/मिन-1/ग	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.454		वासुदेव पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
14	291/मिन-1/घ	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.886	0.060	रामरूप, गनेश, सुरारी पुत्रगण पतिराम हि० 29/1886 जसवन्त बा० सुरेश नाबा० पुत्रगण पतिराम सर० भाई खुद फूलो पुत्री पतिराम हि० 256/1356 गौरीशंकर, शिवकुमार पुत्रगण मुरारीलाल हि० 317/1856 दुर्गाप्रसाद पुत्र लखपति सिंह हि० 304/1886 रामदीन पुत्र काशीराम हि० 360/1886 प्रदीप पुत्र कंदार सिंह हि० 303/1886 जाति त्यागी नि० ग्राम नारायणी पत्नी मुरारी लाल हि० 305/1886 जाति जाटव नि० गांधी कालोनी गोपालपुरा मुरेना, मुन्नालाल पुत्र रामगोपाल लौंगश्री मिथलेश पुत्रियां रामगोपाल हि० 3/4 विनोद पुत्र राजेन्द्र, रामवती, मनीषा पुत्रियां राजेन्द्र हि० 1/4 दर हि० 2/1886 जाति त्यागी बृजेश सन्तोष पुत्रगण रमेश बैकुण्ठी बेवा रमेश, मीना पुत्री रमेश हि० 10/1886 जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी।
15	291/मिन-2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.460		महेश, रामनरेश बा० रामवीर धर्मवीर नाबा० पुत्रगण भोगीराम-सर० महेश भाई खुद जाति त्यागी नि० ग्राम भूमिस्वामी।
16	293/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.141		भोगीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
17	293/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.078	0.113	दुर्गाप्रसाद जगदीश पुत्रगण लखपति सिंह हि० 6/34 नरेन्द्र अशोक कमलकिशोर दिनेश पुत्रगण रघुनाथ प्रसाद हि० 28/34 कुल हि० 42/78 जाति त्यागी, रामप्रसाद पुत्र मूलाराम, श्रीपत पुत्र छोटे हि० 36/78 समान भाग जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
18	294	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	0.052	रूपा पुत्र पतिराम जाति त्यागी पता शेखपुर शासकीय पट्टेदार विक्रय से वर्जित
19	295/1/क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.527		अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
20	295/1/ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.527	0.133	भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
21	295/1/ग	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.565		गिराज हरीशंकर मुकेश पुत्रगण भन्ताराम हि० 130/565 जाति ब्राह्मण हरीओम नाबा० पुत्र टीकाराम सर० गिरवरलाल ताल हि०

123

22	295/2/क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.211	130/565 जाति त्यागी रामप्रसाद पुत्र मुलाराम श्रीपती पुत्र छोट्टे हि0 305/565 जाति कोली नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
23	295/2/ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
24	296/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.335	भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
25	296/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.003	रामजीलाल पुत्र कुन्दन हि0 3/32 टीकाराम पुत्र कुन्दन हि0 29/32 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
26	296/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.157	रघुनाथ पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
27	296/4 क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.071	वासुदेव पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
28	296/4 ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
29	296/4 ग	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.068	भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
30	296/5 क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.087	भोगीराम पुत्र भगवानलाल जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
31	296/5 ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.087	मानिकराम पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
32	296/5 ग	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.087	धनीराम पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
33	296/6 क	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	विजेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
34	296/6 ख	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.251	अमरसिंह पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
					भागीरथ पुत्र रामदयाल जाति त्यागी नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
कुल किता		34		12.874	0.643

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कैलारस के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र.क्र.-77-अ-82-भू-अर्जन-2017-18-9425-4.-

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-पावई, प0ह0क0-37... रा0नि0 वृत्-04... तहसील -सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में कुल 6.605 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-पावई प0ह0क0-37... रा0नि0 वृत्-04... तहसील-सवलगढ़ उपखण्ड- सवलगढ़ जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगढ़
ग. ग्राम	पावई
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.605 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	11	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	0.004	आनंदी बेवा काशीराम शिवसिंह नरोत्तम पुत्रगण काशीराम समान भाग 3/4 कलावती बेवा भोगीराम हरिश्चन्द्र पुत्र भोगीराम उर्मिला पुत्री भोगीराम समान भाग 1/4 जाति किरार निवासी ग्राम कीरतपुर
2	16	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.650	0.072	ग्यासिया पुत्र सामंत जाति किरार
3	17	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.370	0.045	मु0 सुमीत्रा बेवा लालजीत नकदू तेजसिंह रामरतन पुत्रगण लालपति समान भाग 2/3 शोभा बेवा मुरली गंगा पुत्री मुरली 1/3 भाग भूमिस्वामी।
4	18	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.480	0.121	पार्वती बेवा महाराजसिंह पुष्पराज, देवराज, देशराज पुत्रगण महाराजसिंह समान भाग 1/3 रामनाथ सिंह जगदीशसिंह पुत्रगण मांगीलाल 2/3

5	41	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.410	0.051	पुरुषोत्तम मुन्शीलाल दरोगालाल आ० लक्ष्मीनारायण समान भाग 1/2 रामसिंह रामस्वरूप पुत्रगण पुन्ना 1/2 समान भाग जाति बडई।
6	42	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.510	0.036	रामनाथ जगदीश पुत्रगण मांगीलाल समान भाग 2/9 पार्वती बेवा महाराज सिंह पुष्पराज, देवराज, देशराज पुत्रगण महाराजसिंह समान भाग 1/9 दर भाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3 जाति गुर्जर।
7	44	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.220	0.039	भगवानलाल पुत्र भौरु भाग 1/2 केदार श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रियां रामरतन समान भाग 1/2 जाति किरार
8	45	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	0.018	मांगीलाल दत्तक पुत्र सुखा पता नि० ग्राम 1/2 मथुरा प्रसाद आ. प्रभु रामकला चन्द्रकला पुत्रियां प्रभु समान भाग 3/8 जाति ब्रा० मु कमलेश बेवा ब्रजेश कुमार देवेन्द्र आकाश पुत्रगण ब्रजेश कुमार शशी ज्योति पुत्रियां ब्रजेश कुमार समान भाग 1/8
9	46	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	0.02	मुनेश पुत्र मंगलिया भाग 1/3 भन्ती बेवा मंगलिया कमला विमला ममता पुत्रियां मंगलिया समान भाग 2/3
10	47	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.290	0.011	रामनाथ जगदीश पुत्रगण मांगीलाल समान भाग 2/9 पार्वती बेवा महाराजसिंह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराजसिंह समान भाग 1/9 दर भाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3
11	53	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	0.022	महेशकुमार पिता लक्ष्मीनारायण ब्रा०
12	56	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	0.017	मनोजकुमार पिता पवनकुमार हरिओम नाबा० पिता शिवप्रसाद पता नि० ग्राम भूमिस्वामी हेमलता पुत्री शिवप्रसाद नाबा० सर० भाई मनोजकुमार पता नि० ग्राम 3/4 भाग भूमिस्वामी साबित्री पुत्री शिवलू पता नि० ग्राम 1/4 भाग भूमिस्वामी
13	58	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.490	0.039	हरिचरन पिता रामनारायण जाति ब्रा०
14	60	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.930	0.012	कम्मोदा बेवा तेजसिंह महेश लोखम भूपसिंह छोटा सनेही पुत्रगण तेजसिंह शीला पुत्री तेजसिंह समान भाग 1/3 बंसती बेवा मूलचंद भौजा पुत्र मुलचंद गुडडी सुरेखा पुत्रियां मूलचन्द समान भाग 1/3 इंदरबाई पुत्री भाईराम भाग 1/3
15	62	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	0.016	रामनाथ जगदीश पुत्रगण मांगीलाल समान भाग 2/9 पार्वती बेवा महाराजसिंह पुष्पराज देवराज देशराज पुत्रगण महाराजसिंह समान भाग 1/9 दर भाग 1/3 गोपी पुत्र सुन्दर भाग 1/3 नारायणी पुत्री सुन्दर भाग 1/3
16	63	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.160	0.022	मुनेश पुत्र मंगलिया भाग 1/3 भन्ती बेवा मंगलिया कमला विमला ममता पुत्रियां मंगलिया समान भाग 2/3 जाति काछी
17	64	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	0.060	भगवानलाल पुत्र भौरु भाग 1/2 केदार श्रीधर पुत्रगण रामरतन इमरती सरोज सिया पुत्रियां रामरतन समान भाग 1/2 जाति किरार
कुल किता 17				6.00	0.605	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-4035-भू-अर्जन-2019.-

बालाघाट, दिनांक 13 अगस्त 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राडगेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अंतर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

### अनुसूची

#### 1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बालाघाट	कटंगी	चिकमारा प0ह0नं0 24 रा0नि0म0 कटंगी	ख0नं. 496/1 रकबा 0.142 हे0 में से रकबा 0.036 हे0 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां	भू-अर्जन अधिकारी तहसील कटंगी जिला-बालाघाट	कटंगी से तिरोडी ब्राडगेज अमान परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड [dmbalaghat@nic.in](mailto:dmbalaghat@nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देख सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप मुख्य अभियंता (निर्माण) द0पू0म0 रेल्वे नागपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र.-4034-भू-अर्जन-2019.-

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि,राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री बैनगंगा संभाग बालाघाट द्वारा ढूटी बायी तट नहर प्रणाली की कटंगी मायनर के शेष निर्माण कार्य में जो कि भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
1	2	3	4	5	6
बालाघाट	किरनापुर	ग्राम कोतरी प.ह.नं. 16 रा.नि.म. किरनापुर	ख0नं0 70/2 रकबा 0.680 हे0 में से 0.072 हे0	भू-अर्जन अधिकारी तहसील किरनापुर जिला बालाघाट	ग्राम कोतरी की भूमि ढूटी बायी तट नहर प्रणाली की कटंगी मायनर के शेष निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [dmbalaghat@nic.in](mailto:dmbalaghat@nic.in) एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देख सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाख बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) किरनापुर, तहसील-किरनापुर, जिला-बालाघाट (म.प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, ढूटी बांयी तट नहर वैनगंगा संभाग बालाघाट के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 14 अगस्त 2019

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2017-18 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। इस आशय की धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 19.10.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवाई पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। जो नियत अवधि में नहीं हो पाया है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवाई पारित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, अवाई पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता हैं -



**अनुसूची(1)**  
**भूमि का वर्णन**

जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	ब्यावरा	लसूडलीमहाराजा	15.450 हे.	ब्यावरा से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। इस आशय की धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 15.06.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। जो नियत अवधि में नहीं हो पाया है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

**अनुसूची(1)**

**भूमि का वर्णन**

जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	ब्यावरा	धुरला	7.572 हे.	ब्यावरा से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। इस आशय की धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 11.05.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। जो नियत अवधि में नहीं हो पाया है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

#### अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० में	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	ब्यावरा	कचनारिया	19.987 हे.	ब्यावरा से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। इस आशय की धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21.09.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। जो नियत अवधि में नहीं हो पाया है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

#### अनुसूची(1)

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० में	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	ब्यावरा	बाईहेड़ा	12.747 हे.	ब्यावरा से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 23.03.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेंट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। जो नियत अवधि में नहीं हो पाया है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

**अनुसूची(1)**

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	ब्यावरा	खजूरिया	8.999 हे.	ब्यावरा से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2016-17 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है की नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस आशय की धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 27.07.2018 को कराया गया था। प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलाईमेंट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जो कि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व नितान्त आवश्यक है। जो नियत अवधि में नहीं हो पाया है। इन परिस्थितियों में विहित समय सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित किया जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है -

**अनुसूची(1)**

भूमि का वर्णन				
जिला	तहसील	नगर /ग्राम	क्षेत्रफल हे० मे	सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
राजगढ़	ब्यावरा	पगारी	11.307 हे.	ब्यावरा से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु।

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-3858-भू-अर्जन-2019-प्र.क्र.-04-अ-82-2018-19.-

रतलाम, दिनांक 24 अगस्त 2019

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की जावरा रेलवे फाटक जावरा ओवरब्रिज (सेतु) निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के नीचे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 19 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ :-

::अनुसूची::

कस्बा जावरा पटवारी हल्का नम्बर 55-

क्र	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम तथा पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
रेलवे फाटक से आटिया चौराहे तक बायीं तरफ			
1	श्री महेन्द्रसिंह, अर्जुनसिंह, अरुण कुमार, विक्रमसिंह पिता मथुरालाल	86	9.187
2	श्रीमति रजिया बी पति मो. इलियास	86	26.077, 22.657
3	श्री संदीप पिता चन्द्र कुमार	86	12.787
4	श्री रामबाबु पिता खेसरण	86	13.847
5	श्री चिल्लाराम पिता बंशीलाल	86	42.85, 38.43
6	श्री प्रदीप पिता नरेन्द्रकुमार	86	46.395, 46.395, 34.100
7	श्रीमति भावना पिता नरेन्द्र कुमार	86	35.373, 25.127, 25.127
8	श्री नरेन्द्र पिता चन्दनमल	86	87.96, 87.96, 84.35, 45.73
9	श्री राजमल पिता चन्दनमल	86	51.12, 51.12
10	श्री प्रकाशचन्द्र पिता मिश्रीमल छाजेड	86	46.47, 46.47
11	श्रीमति राधाबाई पति कन्हैयालाल	86	31.21, 25.36
12	श्री निलय पिता अशोक	86	38.25, 32.13

15	श्री विजय पिता अशोक	86	334.72, 334.72
	श्री मनीष पिता बाबुलाल	86	190.55, 190.55
16	श्रीमति कविता पति शंकरलाल	86	213.24, 213.24, 102.89
16	श्रीमति कविता पति शंकरलाल	86	124.95, 124.95, 57.16
17	श्रीमति कविता पति शंकरलाल	86	59.16, 24.26
आटिया चौराहे से बस स्टैण्ड की ओर बायीं तरफ			
18	श्री राजमल पिता केशरमल आटिया	38	9.45, 4.50, 9.45, 9.45
19	श्री फतेहलाल पिता राजमल	38	34.8, 34.80, 39.70
20	श्री सार्धक पिता सुशील कुमार गर्ग	38	5.80, 5.80
21	श्री बाबुलाल पिता नंदराम	38	34.71, 34.71
22	श्रीमति खोजमा पति अजगर अली	38	26.68, 26.68, 29.56
23	श्री मोहम्मद इकबाल पिता नूर मोहम्मद	38	33.33, 24.53
24	श्री महेश कुमार पिता कल्याणमल	38	29.50, 11.76, 11.76
25	श्री राजेश पिता बाबुलाल पांचाल	38	58.72, 58.72, 17.25
26	श्री चन्द्रप्रकाश पिता बाबुलाल ओस्तवाल	38	59.28, 59.28
27	श्रीमति हिराबाई पति काना	38	25.50, 25.50
रेलवे फाटक से बस स्टैण्ड की ओर दायीं तरफ			
1	श्री सत्यनारायण पिता ताराचन्द्र		32.51, 32.51
2	श्री अमरसिंह पिता हरिसिंह		30.60, 30.60
3	श्रीमति टेकुबाई पति डालूराम		30.98, 30.98
4	श्री मांगीलाल पिता नारायण		50.10, 5.10
5	श्री संजय पिता कैलाशचन्द्र		33.27, 33.27
6	(सूची में दी गई जानकारी अनुसार) प्रीमीयर आईल मिल इण्डरट्रीज प्रो. विशाल एक्सपोर्ट लि. कलकत्ता	224	502.34, 453.34
7	श्री प्रदीप सिंह सोलंकी		3.22, 3.22
8	श्री महेन्द्रसिंह पिता शिवनारायण सोलंकी		5.52, 5.52
9	श्री इन्द्रा त्रिलोकसिंह		7.87, 7.87
जेल रोड पर दायीं तरफ			
10	पुलिस आवासगृह		49.98, 49.98

भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण :- कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग  
( देखिये धारा 25 )**

सागर, दिनांक 13 अगस्त 2019

क्र.-78-अ-82-16-17-6466-भू-अर्जन-प्रकरण-48-अ-82-16-17.-में बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु मौजा नीमोन पट.ह.न.-15 तहसील बण्डा जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की घोषणा और सार के प्रकाशन हेतु अधिसूचना दिनांक 22-05-2018 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 21-05-2019 को पूर्ण हो चुकी है. उक्त अवधि में लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रकरण में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है. अतः अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**राज्य शासन के आदेश  
संस्कृति विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

सागर, दिनांक 4 सितम्बर 2019

क्रमांक एफ 11-02/2019/तीस : राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

2/ अतएव मध्यप्रदेश एन्थीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजिकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

3/ किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

**अनुसूची**

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
म.प्र.	ग्वालियर	डबरा	ग्राम देवगढ़	देवगढ़ का किला	सर्वे न. 618 गैर कृषि भूमि	5.801 हे.	म.प्र. शासन	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 19 अगस्त 2019

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.331-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	इटमा उबारी	0.240	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.332-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	सलैया कोठार	1.690	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.333-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	नामतारा	0.830	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.334-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	खम्हरियाखुर्द	0.391	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.335-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय



उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	खमरेही	1.116	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.336-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बिकरा	5.696	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.337-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	पटना	0.619	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.338-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सुजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	रेरूवा कला	2.773	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.339-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सुजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	पिपरी	4.645	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.340-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय

उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) गंगवरिया	(4) 6.109	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.341-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) सड़वा	(4) 5.868	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.342-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) नागौद	(3) अतरौराखुर्द	(4) 2.623	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.343-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	मढ़ा	0.313	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.344-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	डाम्हा	4.133	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.345-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई

संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	कोलाड़	1.033	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.346-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	इटमा बधेलान	4.480	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.347-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	नौनिया	2.156	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.348-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	तिलौरा	2.949	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.349-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	हरदुआ मझोल	2.118	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.350-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय

उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बडखेरा	4.869	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.351-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बम्हौर	16.153	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.352-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	भाद	2.490	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली- महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.353-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	अतरौरा कला	1.849	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-19-20-पत्र क्र.354-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	बारापत्थर	1.150	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो 541 कि. मी. बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेलवे सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अगस्त 2019

क्र. 798-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है। और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 (1) की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	लूक न. 1	0.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर रीवा, (म. प्र.)	त्योंथर बहाव योजना के महाना माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 अगस्त 2019

क्र. 259-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है। अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस

कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवां	कोनी	0.550	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा.	जदुआ अंतरीला मार्ग में जिरौंध नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 260-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	देवरा	1.686	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग रीवा.	महमूदपुर देवरा मार्ग में पकडियार नदी पर पुल निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 4 जुलाई 2019

क्र. 265-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—करही पवाई

(घ) क्षेत्रफल—0.153 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)
239/1/3	0.150	0.028
239/1/4	0.150	0.028
291/1/5/1	0.005	0.003
291/1/5/3	0.003	0.003
291/2/5/1	0.006	0.003
291/1/5/4	0.002	0.002
291/1/5/5	0.004	0.003
291/2/5/3	0.008	0.006
291/1/1/1	0.010	0.010
291/1/2/1	0.001	0.001
291/2/2/1	0.003	0.003
291/1/2/3	0.001	0.001
291/2/2/2	0.003	0.003
291/1/2/4	0.002	0.002
291/2/2/3	0.002	0.002
291/1/2/5	0.002	0.002
291/2/2/4	0.002	0.002
291/1/2/6	0.002	0.002
291/2/2/5	0.004	0.004
291/1/2/7	0.002	0.002

(1)	(2)	(3)
291/2/2/6	0.006	0.006
291/1/3/1	0.002	0.002
291/1/3/3	0.002	0.002
291/1/3/4	0.004	0.004
291/1/3/5	0.002	0.002
291/1/3/6	0.003	0.003
291/1/3/7	0.003	0.003
291/2/4/1	0.007	0.007
291/2/4/3	0.004	0.004
291/2/4/4	0.004	0.004
291/2/4/5	0.002	0.002
291/2/1/1	0.010	0.004

कुल योग . . . 0.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-पन्ना-रीवा-सिंगरौली (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 19 अगस्त 2019

क्र. 359-भू-अर्जन-2019-संशोधित.—चूंकि, राज्य शासन द्वारा पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 28 सितम्बर 2018 में त्रुटिवश प्रकाशन हो गया था जिसका संशोधित प्रकाशन नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र.-एक सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम—बिरहुली

(घ) क्षेत्रफल—2.378 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
145/2	0.101
145/3/1/1/1	0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
145/3/1/1/2	0.006	152, 152/1/क/1/1,	0.012
145/3/1/1/3	0.006	152/845/1/1	
145/3/1/1/4	0.006	152/1/क/1/4	0.124
145/3/1/1/5	0.006	152/1/क/3/2	0.004
145/3/1/1/6	0.006	237/1/क	0.034
145/3/1/1/7	0.006	237/2/क	0.019
145/3/1/1/8	0.006	237/3/क	0.019
145/3/1/1/9	0.003	238/1	0.028
145/3/1/1/10	0.006	238/2/क/1/1/1	0.006
145/3/1/1/11	0.006	238/2/क/1/1/2	0.006
145/3/1/1/12	0.006	238/2/क/1/1/3	0.006
145/3/1/1/13	0.006	238/2/क/1/1/4	0.006
145/3/1/1/14	0.006	238/2/क/1/1/5	0.006
145/3/1/2/1	0.020	238/2/क/1/1/6	0.006
145/3/1/2/2	0.005	238/2/क/1/1/7	0.006
145/3/1/2/3	0.005	238/2/क/1/1/8	0.006
145/3/1/2/4	0.005	238/2/क/1/1/9	0.006
145/3/1/2/5	0.005	238/2/क/1/1/10	0.006
145/3/1/2/6	0.015	238/2/क/1/1/11	0.006
145/3/1/2/7	0.006	238/2/क/1/2/1	0.001
145/3/1/2/8	0.006	238/2/क/1/2/1/1	0.006
145/3/1/2/9	0.006	238/2/क/1/2/1/2	0.006
145/3/1/2/10	0.006	238/2/क/1/2/1/3	0.006
145/3/1/3/1	0.006	238/2/क/1/2/1/4	0.003
145/3/1/3/2	0.006	238/2/क/1/2/1/5	0.003
145/3/3/1	0.020	238/2/क/1/2/1/6	0.005
145/3/3/2/1	0.011	238/2/क/1/2/2/2	0.012
145/3/3/2/2	0.003	238/2/क/1/2/2/3	0.012
145/3/3/2/3	0.006	238/2/क/1/2/2/4	0.004
145/3/3/3/1	0.008	238/2/क/1/2/2/5	0.004
145/3/3/3/2	0.006	238/2/क/1/2/2/6	0.004
145/3/3/3/3	0.006	238/2/ख/1/1/1	0.012
145/3/3/4/1	0.008	238/2/ख/1/1/2	0.012
145/3/3/4/2	0.006	238/2/ख/1/1/3	0.012
145/3/3/4/3	0.006	238/2/ख/1/2/1	0.004
145/3/3/5	0.020	238/2/ख/1/2/2	0.022
145/3/3/6/1	0.016	238/2/ख/1/2/3	0.022
145/3/3/6/2	0.004	238/2/ख/1/2/4	0.022
145/4/1	0.101	238/2/ख/1/2/5	0.022
151/1/क	0.011	253/1/3	0.013
151/1/ख	0.005	254/1/5	0.024
		254/1/1	0.002
		254/1/2	0.002
		254/1/3	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
254/1/4	0.012	263/1/1/1/3	0.006
254/2	0.005	263/1/1/1/4	0.009
256/1/1/1	0.03	263/1/1/1/5	0.022
256/1/1/2	0.005	263/1/1/1/6	0.006
256/1/1/3	0.005	263/1/1/1/7	0.022
256/1/2/1	0.034	263/1/1/2	0.009
256/1/2/2/1	0.003	266/1	0.160
256/1/2/2/2	0.003	267/1	0.019
256/1/2/3	0.004	273/1/2/1	0.012
256/1/2/4	0.004	273/3	0.020
257/1/1	0.001	274/1/2, 275/1/2	0.130
257/1/2	0.004	274/3/1/1	0.028
257/1/3	0.004	274/3/2	0.009
257/1/4	0.002	274/3/3	0.009
257/1/5	0.002	274/3/4	0.009
257/1/6	0.004	274/3/5	0.004
257/1/7	0.004	274/3/6	0.004
257/1/8	0.004	274/3/7	0.006
257/1/9	0.004	274/3/8	0.006
257/1/10	0.004	274/3/9	0.006
257/1/11	0.004	274/3/10	0.006
257/1/12	0.004	274/3/11/1	0.003
257/1/13	0.004	274/3/11/2	0.003
258/1	0.008	274/3/12	0.003
258/2	0.002	274/3/13	0.003
258/3	0.002	274/3/14	0.003
258/4	0.004	274/3/15	0.003
259/1	0.004	274/3/16	0.003
259/2	0.002	274/3/17/1	0.003
259/3	0.004	274/3/17/2	0.003
259/4	0.004	274/3/18	0.004
259/5	0.003	274/3/19	0.004
259/6	0.003	274/3/20	0.006
259/7	0.002	274/3/1/2	0.004
259/8	0.002	274/3/1/3	0.004
260/1/2	0.002	274/3/1/4	0.004
260/1/3	0.004	274/3/1/5	0.004
260/1/4	0.004	274/3/1/6	0.004
260/1/5	0.003	274/3/1/7	0.004
260/1/6	0.003	274/3/1/8	0.004
260/1/7	0.002	274/3/1/9	0.004
260/1/8	0.002	274/3/1/10	0.004
263/1/1/1/1	0.040	276/1/1/क/1	0.022
263/1/1/1/2	0.006	276/1/1/क/2	0.031

(1)	(2)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	
276/1/1/क/1/1	0.008	छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 जुलाई 2019	
276/1/1/क/1/2	0.008	क्र. 3669-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
276/1/1/क/1/3	0.008	अनुसूची	
276/1/1/क/2/1	0.005	(1) भूमि का वर्णन—	
276/1/1/क/2/2	0.005	(क) जिला—छिन्दवाड़ा	
276/1/1/क/2/3	0.005	(ख) तहसील—पांडुर्णा	
276/1/1/क/3/1	0.039	(ग) नगर/ग्राम—पांडुर्णा, प.ह.नं.-51. ब. नं.-234, रा. नि. मं.-पांडुर्णा.	
276/1/1/क/3/2	0.007	(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा—02.126 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	
276/2/1/क/1	0.004		
276/2/1/क/2	0.012		
276/2/1/क/3/1	0.046		
276/2/1/क/3/2	0.004		
276/2/1/क/3/3	0.004		
276/2/1/क/4	0.048		
277/1/1/क/1	0.006		
277/1/1/क/2	0.006		
277/1/1/क/3	0.006		
278/1/1	0.144		
278/1/1/1	0.007	प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकबा
278/1/1/2	0.007	नम्बर	(हेक्टेयर में)
278/1/1/3	0.007	(1)	(2)
278/1/1/4	0.007	46	0.008
278/1/1/5	0.007	47	0.001
278/1/1/6	0.007	59/1	0.108
278/1/1/7	0.006	59/2	0.071
278/1/1/8	0.006	60	0.037
278/1/1/9	0.006	61	0.099
279	0.008	62	0.042
		63	0.026
		64	0.025
		108/1	0.002
		108/3	0.008
		104	0.036
		111/1	0.052
		111/2	0.017
		117/2	0.025
		118	0.004
	कुल योग . . 2.378		
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.		
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.		
	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जुलाई 2019

(1)	(2)
119	0.088
120	0.044
132/2	0.009
132/3	0.066
132/4	0.025
132/5	0.027
132/6	0.022
133	0.066
134/1	0.072
134/2	0.192
138	0.223
478	0.144
474/2	0.064
473	0.153
468/1	0.038
457/1	0.040
458/1	0.116
459	0.113
460/2	0.063
योग . .	02.126

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाइन निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 5432-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—मोहखेड

(ग) नगर/ग्राम—थावरीखुर्द, प.ह.नं.-72,

ब. नं.-257, रा. नि. मं.-इकलबिहरी

(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.415 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित प्रस्तावित क्षेत्रफल— क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

150/2

0.207

150/1

0.208

योग . . 0.415

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—जाखावाडी जलाशय के नहर रहित बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना संभाग, क्रमांक-2 छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

छिंदवाड़ा, दिनांक 5 अगस्त 2019

क्र. 5706-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिंदवाड़ा  
(ख) तहसील—पांडुर्णा  
(ग) नगर/ग्राम—सेन्दुरजना, प.ह.नं.-21,  
ब. नं.-405, रा. नि. मं.-नांदनवाड़ी.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-03.523  
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर आने  
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29/2	0.258
16	0.142
57/3	0.923
88	2.200
	<u>योग . . . 03.523</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सेन्दुरजना जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://>

/www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.  
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.  
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर परियोजना संभाग, क्रमांक-2 छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिंदवाड़ा, दिनांक 22 अगस्त 2019

क्र. 6172-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिंदवाड़ा  
(ख) तहसील—चाँद  
(ग) नगर/ग्राम—केरिया, प.ह.नं.-27,  
ब. नं.-29, रा. नि. मं.-चाँद.  
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-03.101  
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
क्षेत्रफल पर आने  
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
228/1	0.021
228/2	0.024
221/5	0.040
228/3	0.024
226/5	0.082
221/1	0.020
221/4	0.037



(1)	(2)	(1)	(2)
224/4-5	0.010	32/16	0.012
32/6/2	0.021	32/17	0.012
226/1	0.086	32/4/2	0.041
221/2	0.036	32/3/3	0.021
32/6/1	0.020	32/3/1	0.026
221/3	0.070	31/1	0.017
222, 223	0.140	23/1	0.059
237/1, 237/3	0.032	28/1/2	0.017
266	0.003	31/4	0.007
265	0.035	31/3	0.014
268/1-2	0.072	32/2	0.014
270	0.051	21/2	0.062
233/2, 234/1	0.068	30	0.083
219/2	0.080	23/2	0.072
237/2	0.010	22/3	0.047
271, 272/1	0.020	28/7	0.008
45/4-5	0.100	22/1	0.070
32/3/2	0.026	22/2	0.048
32/4/1	0.022	21/1	0.052
32/7/2	0.005	1/2	0.176
294, 295	0.144	2/2	0.063
299/1	0.019	2/1	0.063
299/2	0.019		
299/3	0.019		
299/5	0.019		
299/6	0.020		
299/4	0.016		
301/1	0.132		
301/3	0.040		
338/2	0.060		
44/4	0.078		
338/4	0.072		
338/5	0.048		
376/2	0.120		
376/1	0.040		
376/3	0.040		
44/3	0.030		
32/6/3	0.022		
32/5	0.024		

योग . . . 03.101

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 9 आर एवं 10 आर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	(1)	(2)
	86/2	0.004
	86/3	0.048
	96/1, 96/2, 97/2	0.020
	150/14	0.022
	97/3	0.006
	97/1	0.011
	100/11	0.032
	100/1, 101/1	0.004
	100/4, 101/4	0.008
	104/4, 104/3	0.030
	107/3	0.005
	150/3	0.023
	107/6	0.005
	150/23	0.010
	112/2, 113/8	0.018
	153	0.008
	152/1	0.008
	151/1	0.014
	113/1, 113/4	0.007
	113/10	0.013
	113/2	0.030
	150/21	0.017
	150/22	0.027
	150/2	0.056
	150/13	0.034
	150/12	0.026
	150/11	0.058
	187/1	0.050
	187/2/क, 188/1,	0.065
	189/4, 187/2	
	89/1	0.028
	70/56	0.012
	156/11	0.030
	158/2	0.013
	159	0.098
	योग	<u>01.846</u>

क्र. 6173-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
 (ख) तहसील—चौद  
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-झिरिया, प.ह.नं.-15,  
 ब. नं.-101, रा. नि. मं.-चौद.  
 (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-01.846  
 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित  
 क्षेत्रफल पर आने  
 वाली संपत्तियां.

#### प्रस्तावित खसरा

नम्बर

(1)

45/2

72

45/9, 71/2

70/70, 71/3

70/68, 75/4

75/3

70/29, 70/33

76/2,

100/3, 101/3

78/2

158/3

290/1

79

104/2

88/3, 80

88/2

88/4

70/44ख

#### प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

0.046

0.056

0.030

0.074

0.055

0.070

0.032

0.045

0.018

0.070

0.042

0.056

0.062

0.015

0.104

0.164

0.048

0.019

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 9 आर एवं 10 आर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी

वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 अगस्त 2019

क्र. 6207-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—सौंसर  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खापाकरीमवार, प.ह.नं.-60/23, ब. नं.-74, रा. नि. मं.-लोधीखेडा  
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.534 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/6	0.405
96	0.129
योग . .	0.534

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस.ई.जेड.) की परियोजना स्थापित करने के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर के स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्र. 6208-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा  
(ख) तहसील—सौंसर  
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कोदाडोंगरी बी-1, प.ह.नं.-60/23, ब. नं.-58, रा. नि. मं.-लोधीखेडा  
(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.227 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.012
14	0.053
15	0.162
योग . .	0.227

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस.ई.जेड.) की परियोजना स्थापित करने के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर के स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 6209-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिंदवाड़ा
- (ख) तहसील—सौंसर
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—सांवगा, प.ह.नं.-61/24, ब. नं.-381, रा. नि. मं.-लोधीखेडा
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा—0.200 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
409/1	0.200
	योग . . 0.200

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस.ई.जेड.) की परियोजना स्थापित करने के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर के स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिंदवाड़ा, दिनांक 27 अगस्त 2019

क्र. 6395-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिंदवाड़ा
- (ख) तहसील—सौंसर
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—सातनूर, प.ह.नं.-60, ब. नं.-376, रा. नि. मं.-लोधीखेडा
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा—10.835 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89/1	01.097
89/2	0.809
91	03.680
132/1	04.035
325/4	01.214
	योग . . 10.835

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस.ई.जेड.) की परियोजना स्थापित करने के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर के स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 6396-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—सौंसर
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—कोदाडोंगरी, मालगुजारी  
प.ह.नं.-60/23,  
ब. नं.-57, रा. नि. मं.-लोधीखेडा
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-01.041  
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115/1	0.350
121/1	0.368
121/2	0.323
योग . .	01.041

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एस.ई.जेड.) की परियोजना स्थापित करने के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड नागपुर के स्थानीय कार्यालय मुख्यालय सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 अगस्त 2019

क्र. 6507-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—चाँद
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—मोहगांव कला, प.ह.नं.-45/4,  
ब. नं.-239, रा. नि. मं.-चाँद,
- (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-03.163  
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
319/8	0.090
319/3	0.072

(1)	(2)	(1)	(2)
318/2	0.004	641/1	0.144
318/5	0.044	635, 636/1-2	0.016
324/3, 325/2	0.088	452, 640/1-2-3	0.072
324/4, 325/4	0.024	453/7, 453/8	0.072
324/2, 325/2	0.096	449/9	0.084
698/1, 699/1, 700/1	0.080	449/13	0.018
284/2, 285/3	0.032	449/6, 450/1-2	0.068
285/2	0.032	449/8	0.022
278/8/2	0.052	619/2	0.074
278/3	0.077	571/1, 572/1, 573/1/1	0.042
278/11	0.059	574/3, 574/6	0.025
278/2	0.040	573/8, 573/9,	0.025
278/1	0.104	574/1, 2, 3, 6	0.025
289/1	0.048	574/1/2/3/4/7	0.021
290/3	0.016		
268, 269	0.096		योग . . . 03.163
267	0.064	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत नांदना वितरक नहर की 8 आर एवं 9 आर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
266	0.037	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <a href="http://www.chhindwara.mp.gov.in">http://www.chhindwara.mp.gov.in</a> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <a href="http://www.mprevenue.nic.in/">http://www.mprevenue.nic.in/</a> पर भी देखा जा सकता है.	
264, 265	0.030	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
249/1	0.114	(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय के कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
625	0.090	(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	
626	0.032		
624/1	0.048		
621	0.050		
620	0.052		
622	0.032		
627/1	0.080		
628/3	0.120		
628/2	0.038		
617/2	0.120		
617/3	0.064		
662/1	0.024		
658	0.060		
659/3	0.020		
449/11	0.020		
658/2	0.010		
659/2	0.040		
659/1	0.020		
449/12	0.019		
660	0.122		
661/2	0.024		
641/2	0.096		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 7-अ-82-2018-19-4519.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—शहडोल  
(ख) तहसील—सोहागपुर  
(ग) ग्राम—कल्याणपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 0.830 हेक्टर (भूमि एवं परिसंपत्ति).

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
12/1	0.830

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अनूपपुर-कटनी रेल खण्ड के तीसरी लाईन निर्माण हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सोहागपुर एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ. ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ललित दाहिमा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अगस्त 2019

क्र. 800-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—जवा  
(ग) ग्राम—गोहटा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.194 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
382/1/1	0.010
406	0.184
योग . . .	0.194

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "महाना वितरक नहर की माइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 अगस्त 2019

प्र. क्र. 56-अ-82-वर्ष-2017-18.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना

के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—विश्रामगंज

(घ) क्षेत्रफल—22.73 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
98/2	0.910	निजी भूमि
134/2	0.560	निजी भूमि
134/3	0.010	निजी भूमि
149/2/ख	0.170	निजी भूमि
337/1/ग	1.000	निजी भूमि
182/1	0.270	निजी भूमि
221	0.650	निजी भूमि
182/2	0.900	निजी भूमि
184/1	0.040	निजी भूमि
187/1	2.700	निजी भूमि
187/2	0.710	निजी भूमि
195/1	0.330	निजी भूमि
196/1	0.030	निजी भूमि
263/1/ख/क	0.320	निजी भूमि
267/2	0.130	निजी भूमि
272/2	0.840	निजी भूमि
272/3	0.010	निजी भूमि
304/1	0.200	निजी भूमि
336/1	2.150	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
338/1	0.290	निजी भूमि
339/1	0.350	निजी भूमि
290/1	0.320	निजी भूमि
304/2	0.200	निजी भूमि
336/2	2.140	निजी भूमि
338/2	0.290	निजी भूमि
339/2	0.360	निजी भूमि
290/2	0.330	निजी भूमि
329	0.010	निजी भूमि
330/1	0.510	निजी भूमि
409/1	0.090	निजी भूमि
424/1	0.430	निजी भूमि
426/1	0.180	निजी भूमि
430/1	0.150	निजी भूमि
449/1	0.200	निजी भूमि
330/2	0.510	निजी भूमि
409/2	0.090	निजी भूमि
424/2	0.440	निजी भूमि
426/2	0.180	निजी भूमि
430/2	0.150	निजी भूमि
449/2	0.200	निजी भूमि
363	0.470	निजी भूमि
364	0.520	निजी भूमि
387/1	0.200	निजी भूमि
433/1	0.080	निजी भूमि
387/4	0.200	निजी भूमि
387/5	0.210	निजी भूमि
433/4	0.070	निजी भूमि
387/6	0.010	निजी भूमि
423	0.300	निजी भूमि
337/1/क/1	1.000	निजी भूमि
263/1/ख/ख	0.320	निजी भूमि
योग . . .		22.730

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रूज मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम विश्रामगंज तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर, शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 अगस्त 2019

क्र. D-5226-दो-2-2-17.—श्री विमल प्रकाश शुक्ला, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 01 नवंबर 2017 से 01 नवम्बर 2019 तक की ब्लॉक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कोस-ब (एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 26 अगस्त 2019

क्र. B-4274-दो-2-62-2014.—श्री एल. डी. बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 05 से 08 अगस्त 2019 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 08 अगस्त 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-4276-दो-2-128-2017.—श्रीमती संगीता यादव, संकाय सदस्य (कनिष्ठ), मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 26 मई 2019 तक के सार्वजनिक/ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लॉक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-5432-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 02 से 03 अगस्त 2019 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 04 से 08 अगस्त 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5434-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 08 अगस्त 2019 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5436-दो-2-46-2015.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 07 से 09 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5438-दो-2-88-2018.—श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 13 से 16 अगस्त 2019 तक चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 10 से 12 अगस्त 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5440-दो-2-33-2019.—श्री गौरव कुमार सिंह, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 22 अगस्त 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार सिंह, जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जूनियर सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 2019

क्र. D-5587-दो-2-108-2017.—श्रीमती उषा गेडाम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 24 से 07 अगस्त 2019 तक पैंतालीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के  
आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 19th August 2019

No. 159-CJ-II-655.—In exercise of powers conferred Under Article 235 of the constitution of India the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 126, dated 09 August 2017 of Shri Hitendra Kumar Mishra, the then II Additional District Judge, Shajapur (presently under suspension with headquarters at Mandsaur), with immediate effect.

By order of the High Court,  
JITENDRA KUMAR SHARMA, Registrar  
(Vigilance).